प्रसार पत्रक–02 / 2023

भाकृअनुप
ICAR

‘मेरा गाँव-मेरा गौरव’ : किसान-वैज्ञानिक सम्पर्क का मजबूत पुल

आर.पी. द्विवेदी, राजेन्द्र प्रसाद, ए.के. हाण्डा, बद्रे आलम, नरेश कुमार,
सुशील कुमार, के. राजराजन, आशाराम, सोभन देवनाथ, अशोक यादव,
हृदयेश अनुरागी, आशा ज्योति, प्रियंका सिंह,
सुरेश रमनन एस. एवं ए. अरूणाचलम

केकृवाअनुसं
CAFRI

भाकृअनुप–केन्द्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान संस्थान
झाँसी 284003 (उ.प्र.)

आजादी के 71 वर्ष बाद आज भी हमारे देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर है। पिछले दशकों की तुलना में गाँव में रहने वाले किसानों की खेती में रूचि कम हो रही है। आज हमारे देश का ग्रामीण युवा जीवकिोपार्जन हेतु शहरों की चका–चौंध को देखकर आकर्षित होकर विभिन्न कार्यों जैसे मजदूरी, रोजनदारी, नौकरी इत्यादि के कारण शहरों की तरफ पलायन कर रहा हैं उसका अपने पारम्परिक कृषि कार्यो में रूचि कम होती जा रही है। इसका प्रमुख कारण कृषि में मौसम सम्बन्धी जोखिम जैसे सूखा, बाढ़ इत्यादि से आर्थिक लाभ कम मिलता है। भारत सरकार ने समय–समय पर विभिन्न परियोजनाओं, योजनाओं तथा कार्यक्रमों के द्वारा वैज्ञानिकों के माध्यम से तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी में मूल्यांकन, सुधार, प्रदर्शन, प्रसार एवं प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों के खेतों तक ले जाने की पहल की है।

राष्ट्रपिता श्री महात्मा गाँधी जी ने 29 अगस्त 1936 को कहा था कि **"यदि गाँव खत्म हो जायेंगे, तो भारत भी खत्म हो जायेगा"** राष्ट्रपिता के इस कथन के 86 वर्ष बाद आज भी गाँव की दशा से प्रत्येक भारतवासी अच्छी तरह से परिचित है। महात्मा गाँधी जी ने चम्पारन (1917), सेवाग्राम (1920) एवं वर्धा (1938) में गाँवों के विकास के लिए जो शुरूआत की थी वो आज भी आदर्श है एवं अनुकरणीय है। पूर्व राष्ट्रपति डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा 25 जनवरी 2003 में दिया गया विचार एवं रणनीति, पुरा–ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधायें उपलब्ध कराना (PURA-Providing Urban Amenities to Rural Areas) आज भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शत–प्रतिशत प्रासंगिक है। भारत गाँवों का देश है। हमारे देश भारत में की दो–तिहाई जनसंख्या जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर हैं। भारत में लगभग 2,38,616 ग्राम पंचायतें एवं लगभग 6,00,000 गाँव हैं।

मान्नीय कृषि मंत्री, भारत सरकार द्वारा दिनांक 15 जनवरी 2015 को भारतीय कृषि एवं सम्बन्धित वैज्ञानिकों एवं कृषि एवं सम्बन्धित विषयों के छात्रों का आव्हान किया गया कि किसी एक गाँव को गोद ले/अपनायें तथा किसानों को आधुनिक कृषि के बारे में जानकारी देकर उनमें जागरूकता पैदा करें। उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को इस कार्य के लिए आगे बढ़कर करने को कहा। कृषि वैज्ञानिकों का गाँव व देश के प्रति व्यक्तिगत एवं सामाजिक उत्तरदायित्व बनता है कि गाँव समाज व देश के लिए कुछ करें वो भी बिना औपचारिकताओं के साथ।

मान्नीय प्रधान मंत्री, भारत सरकार द्वारा पटना (बिहार) में 25 जुलाई, 2015 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 87वें स्थापना दिवस के अवसर पर परिषद की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों जैसे **फार्मर फर्स्ट (Farmer FIRST), स्टूडेन्ट रेडी (Student READY), आर्या (ARYA), तथा 'मेरा गाँव-मेरा गौरव'** का औपचारिक उद्घाटन किया गया। इन कार्यक्रमों द्वारा प्रयोगशाला से खेत (Lab to Land), पानी, मिट्टी, उत्पादकता, लाभ, प्रसंस्करण, मत्स्य विकास, मवेशी विकास व पशुपालन पर विशेष बल दिया जा रहा है जिससे किसानों की आमदनी बढ़ सके।

राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (NARS-National Agricultural Research System)

पूरे विश्व में भारत की राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली सबसे बड़ी प्रणाली है। इसके अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान (111), कृषि विश्वविद्यालय (73), कृषि विज्ञान केन्द्र (731), राज्य कृषि अनुसंधान परिषद एवं इनके शोध संस्थान शामिल हैं। अगर इन सबको जोड़ दिया जाये तो बहुत बड़ी संख्या में कृषि विशेषज्ञों का मानव संसाधन राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली में सम्मिलित है।

कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल, नई दिल्ली द्वारा कृषि एवं संबंधित विभिन्न विषयों के लगभग 56 विषयों के कृषि वैज्ञानिकों का चयन किया जाता है तथा लगभग इन्हीं विषयों पर केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में भी विशेषज्ञों को चयनित किया जाता है और लगभग 35,000 छात्र–छात्रायें प्रति वर्ष देश में परास्नातक एवं स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण करके बहुत बड़ी संख्या में मानव संसाधन के रूप में विषय विशेषज्ञ के रूप में उपलब्ध होते हैं। भारत में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के अंतर्गत लगभग 20,000 कृषि वैज्ञानिक भी हैं जो कि स्नातक, पीएच.डी. डिग्रीधारक हैं तथा कृषि एवं सम्बन्धित विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में लगभग 6000 कृषि वैज्ञानिक कार्यरत हैं जो कि देश के विभिन्न स्थानों पर स्थित शोध संस्थानों/ब्यूरों/केन्द्रों पर कार्यरत हैं।

उद्योग जगत का सी.एस.आर. (कोर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सबिल्टी)

उद्योग जगत या अन्य कार्पोरेट संस्थान द्वारा कार्पोरेट सोशल रिस्पान्सबिल्टी (उद्योग जगत की सामाजिक जिम्मेदारी) के अंतर्गत समाज में कई प्रकार के कार्य जैसे– पेय जल, वृक्षारोपण, पर्यावरण, जागरूकता अभियान, स्वास्थ्य शिविर, टीकाकरण, स्वास्थ सुविधायें एवं दवायें प्रदान करना, अनाथ बच्चों की शिक्षा, अनाथालयों को दान, गरीबों को कपड़े एवं भोजन वितरित करना, रक्तदान, सफाई अभियान, बालिका शिक्षा, आदिवासी क्षेत्रों में बिजली प्रदान करना तथा सौर ऊर्जा प्रदान करना, इत्यादि कार्य किये जाते हैं। यह सभी कार्य स्वेच्छा से उद्योग जगत द्वारा समाज के हित में सामाजिक जिम्मेदारी एवं उत्तरदायित्व के तहत किये जाते हैं।

इसी प्रकार कृषि–वैज्ञानिकों का कृषकों के प्रति व्यक्तिगत सामाजिक उत्तरदायित्व भी बनता है। यह कार्य कृषि वैज्ञानिकों को अपने पैत्रिक गाँव या कार्यस्थल में जाकर अपना उत्तरदायित्व समझकर निभाना/कार्यान्वयन करना चाहिए। इस प्रक्रिया से गाँव के प्रति कृषि वैज्ञानिकों में संवेदनशीलता पैदा होगी और गाँव वालों का भी कृषि वैज्ञानिकों के प्रति विश्वास व सम्मान विकसित होगा।

कृषि वैज्ञानिकों का सामाजिक उत्तरदायित्व

कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा "मेरा गाँव–मेरा गौरव" का विचार/सिद्धांत कृषि एवं सम्बन्धित वैज्ञानिकों में कृषकों के प्रति संवदेना विकसति करने का है जिससे वे अपने गाँव या नजदीक के गाँवों या कार्य स्थल के समीप गाँवों में खेती–पशुपालन, कृषिवानिकी, वानिकी, मत्स्य संबंधित सलाह इत्यादि जानकारी स्वेच्छा से किसानों को मुहैया कराकर किसानों को आधुनिक कृषि के बारे में जागरूक करें। इस विचारधारा का उद्देश्य कृषि वैज्ञानिकों में कृषकों के प्रति व्यक्तिगत सामाजिक उत्तरदायित्व को विकसित करना है।

ज्यादातर कृषि एवं सम्बंधित विषयों के वैज्ञानिकों या विषय विशेषज्ञ अपने कार्यस्थल (शोध संस्थान, ब्यूरो

केन्द्र इत्यादि) या कृषि विश्वविद्यालयों के पास के गाँव में अपनी परियोजना सम्बंधित प्रदर्शन या प्रशिक्षण कार्य के लिये जाते रहते हैं। वहाँ जाकर वे किसानों को परियोजना के अलावा अन्य सम्बंधित विषयों जैसे– कृषि, डेरी एवं पशुपालन, मत्स्य पालन/कृषिवानिकी, जलसमेट, रेशम कीट, लाखकीट और कृषि की आधुनिक नयी विधाओं एवं पद्धतियों के बारे में किसानों को जागरूक करें जिसे कृषि की नई प्रणालियों के बारे में जागरूकता व ज्ञान बढ़े। जब भी कृषि वैज्ञानिक अपने पैत्रिक गाँव या रिश्तेदारों के गाँव में जाये तो वहां भी बदलती हुई आधुनिक कृषि प्रणाली के बारे में किसानों से चर्चा करके उनकी जागरूकता को बढ़ाया जा सकता है।

सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि कृषि वैज्ञानिकों को अपनी सोच में बदलाव लाना है कृषि वैज्ञानिक केवल यह न सोचे कि यह विषय तो उनका नहीं है, तो वे इस पर किसानों से क्यों वार्ता करें? इसका समाधान किसानों से बातचीत कर निकालना होगा। किसान भाई तो जोखिम लेकर खेती–बाड़ी करते हैं फिर यदि उन्हें सही समय पर सही जानकारी उपलब्ध हो जाती है तो इससे देश का कल्याण होना निश्चित है। किसानों से विचार–विमर्श करने पर वैज्ञानिकों को भी निश्चित रूप से जमीनी हकीकत की जानकारी होती है एवं प्रक्टिकल अनुभव बढ़ता है।

"मेरा गाँव-मेरा गौरव" के अंतर्गत गाँव में कृषि वैज्ञानिकों के कार्य :

1. एक गाँव का चयन कर कृषकों से संवाद स्थापित करना।
2. किसानों को सामयिक रूप से फोन एवं मोबाइल संदेश द्वारा कृषि क्रियाओं की जानकारी पहुँचाना।
3. गाँव की परिस्थितियों के अनुसार सम्भावित कृषि प्रणाली पर मौसम के अनुसार कृषि साहित्य उपलब्ध कराना।
4. किसानों को कृषि निवेष, ऋण, बीज उर्वरक रसायन, कृषि यंत्र, कृषि जलवायु, बाजार आदि से सम्बन्धित जानकारियाँ उपलब्ध कराना।
5. कृषि वैज्ञानिकों द्वारा समाचार–पत्रों, सामुदायिक रेडियो आदि के माध्यम से भी क्षेत्र विशेष में किसानों को जागरूक करना।
6. स्थानीय स्तर पर किसानों के लिए कार्यरत संगठनों एवं संस्थाओं जैसे स्वयं सेवा समूह, कृषक संगठन, आत्मा, अन्य सरकारी विभागों व उनके कार्यक्रमों के बारे में कृषकों को अवगत कराना।
7. राष्ट्रीय महत्व के संवेदनशील मुद्दों जैसे– भारत स्वच्छता अभियान, जलवायु परिवर्तन, जल संरक्षण, मृदा उर्वरता आदि विषयों पर भी किसानों को समय–समय पर जागरूकता करना।
8. आवश्यकतानुसार चयनित सम्पर्क गाँवों का भ्रमण कर किसानों की बैठक आयोजित करना।
9. वैज्ञानिकों द्वारा ग्रामीण स्तर पर तकनीकी समस्याओं की पहचान कर आगामी अनुसंधान कार्यक्रमों में उपयोग।
10. गाँव से सम्बन्धित तकनीकी, सामाजिक व आर्थिक आंकड़े सृजित करना व किये गए कार्यों की तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

किसान कृषिवानिकी राजदूत बनें

भारत के प्रत्येक गाँव में 10–15 प्रगतिशील कृषक आसानी से मिलते हैं। जरूरत है कि इन प्रगतिशील कृषकों को आधुनिक एवं उत्तम व अच्छी खेती, पशुपालन, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन, रेशम कीट पालन, लाख कीट उत्पादन, कृषिवानिकी, नर्सरी रोपण, पौधशाला, प्रसंस्करण आदि विषयों पर सही जानकारी देकर उनकी जागरूकता बढ़ायी जाये ताकि वे आधुनिक खेती–बाड़ी के अग्रदूत बनकर अपनी उत्पादकता को बढ़ाकर अधिक से अधिक आमदनी प्राप्त कर अपना सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन कर सकें। कृषिवानिकी अपनाकर तकनीकी रूप से अधिक सक्षम ये कृषिवानिकी राजदूत एक प्रेरक की भांति कार्य करते हुए पूरे गाँव में विकास की प्रक्रिया प्रारम्भ करने में सहायक सिद्ध होंगे। इन कृषिवानिकी राजदूत किसानों की सफलता को देखकर अन्य कृषक भी इस विचार धारा में जुड़कर अपने को शामिल करेंगे एवं कृषिवानिकी, कृषि एवं ग्रामीण विकास की राह को आगे बढ़ायेंगें।

"मेरा गाँव-मेरा गौरव" हेतु केन्द्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान संस्थान की पहल

केन्द्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान संस्थान, झाँसी द्वारा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के पाँच ग्राम समूह के तहत कुल 16 गाँवों को ''मेरा गाँव–मेरा गौरव'' कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। जिसका विवरण निम्न सारिणी में दिया गया है–

क्र.सं.	ग्राम समूह का नाम	ग्राम समूह में सम्मिलित गाँव
1	हस्तिनापुर समूह (झाँसी उ.प्र.)	हस्तिनापुर, करारी, रून्द करारी, रौनीजा
2	डोमागोर समूह (झाँसी उ.प्र.	डोमागोर, ढिकौली, नयाखेड़ा
3	गणेशगढ़ समूह (झाँसी उ.प्र.)	गणेशगढ़, देवगढ़, रामगढ़
4	परासई समूह (झाँसी उ.प्र.)	परासई, छतपुर, बछौनी
5	गढ़कुण्डार समूह (झाँसी उ.प्र.)	गढ़कुण्डार, डाबर, सकूली, शिवरामपुर

इन चिन्हित गाँवों में संस्थान के कृषि वैज्ञानिक समय–समय पर जाकर विभिन्न कार्यक्रमों जैसे कृषक गोष्ठी, बेर में काट–छांट, एवं कलम बांधने का प्रशिक्षण, कृषिवानिकी पद्धतियों जैसे– कृषि उद्यानिकी, कृषि–वन–चरागाह, कृषि–वन पद्धति, मेड़ व बाउण्ड्री वृक्षारोपण, मेड़ पर चारा उत्पादन, केंचुआ खाद, महिला स्वयं सहायता समूह, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान भ्रमण, पशु स्वास्थ्य शिविर, नागरिक वं किसान स्वास्य शिविर आयोजित करना तथा जानकारी देना, जल समेट कार्यक्रम के द्वारा वर्षा जल संचयन एवं संरक्षण एवं गाँव के किसान भाईयों को आधुनिक कृषि के बारे में सतत् जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है ताकि किसान भाई नई तकनीक अपनाकर आर्थिक एवं सामाजिक विकास करें जिसके परिणाम स्वरूप वैज्ञानिक भी ''मेरा गाँव–मेरा गौरव'' विचार–धारा से अपनत्व स्थापित कर देश के विकास का हिस्सा बनेंगे।

भारत के गाँवों में 85 प्रतिशत लघु एवं सीमांत कृषक रहते हैं जो 70 प्रतिशत जमीन पर खेती करते हैं। आज कृषि की तकनीक को इन्हीं छोटी जोत के किसानों पर केन्द्रित करने की ज्यादा जरूरत है क्योंकि इन किसानों के पास संसाधनों की कमी है तथा कृषि के कुल 60 प्रतिशत से ज्यादा उत्पादन इन्हीं लघु एवं सीमांत कृषकों द्वारा उत्पादित किया जाता है। सीमांत एवं लघु किसानों को विभिन्न प्रसार रणनीतियों जैसे रघु (RAGHU -Revitaliing Agriculture & Agroforestry for Global Human Upliftment), भाई–चारा (BHAI-CHARA), वनचारा

(VAN Chara), प्रथम कृषिवानिकी एप्रोच इत्यादि के द्वारा कृषि एवं कृषिवानिकी पद्धतियों का प्रचार एवं प्रसार करके व किसानों को प्रेरित कर उनके दृष्टिकोण/रवैया में सकारात्मक बदलाव लाने की आवश्यकता है।

"मेरा गाँव–मेरा गौरव" कार्यक्रम के अंतर्गत कृषिवानिकी संस्थान द्वारा मार्च 2023 तक 5485 पौध रोपण विभिन्न गाँव में किया गया। इसके अतिरिक्त कृषक गोष्ठी, प्रक्षेत्र दिवस, प्रक्षेत्र भ्रमण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण, कृषक प्रशिक्षण का आयोजन भी किया गया। गाँव में किसानों को संस्थान के प्रायोगिक प्रक्षेत्र तथा जल समेट क्षेत्र का भ्रमण भी कराया गया। किसान भाईयों को सस्थान के एटिक (कृषि तकनीकी सूचना केन्द्र) में भ्रमण कराकर एकल खिड़की व्यवस्था के तहत पूरी जानकारी उपलबध करायी जाती है। प्रसार माध्यम जैसे– फिल्म, वीडियो फिल्म, कृषि प्रदर्शनी तथा संवाद के माध्यम कृषि सम्बन्धित समस्याओं का समाधान किया जाता है।

किसान भाईयों से अपील

पूरे देश में स्थित कृषि संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा ''मेरा गाँव–मेरा गौरव'' कार्यक्रम चलाया जा रहा है। किसान भाई–बहन अपने गाँव/क्षेत्र के पास स्थित जो भी संस्था हो, वहाँ जाकर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा किसान कॉल सेन्टर के नम्बर (1800 180 1551) में फोन लगाकर अपने गाँव/क्षेत्र के पास स्थित संस्था का नाम व पता जान सकते हैं। इस किसान कॉल सेन्टर के नम्बर में फोन लगाने का कोई शुल्क नहीं लगता। इससे किसान भाईयों को अपने क्षेत्र के प्रति कृषि संस्थानों का विवरण मिल जाता है, जहाँ जाकर/फोन द्वारा कृषि सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

लेखकगण इस लेख के लिये प्राप्त सामग्री संकलन हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली का आभार व्यक्त करते हैं।

मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश: डॉ. ए. अरूणाचलम, निदेशक
सम्पादन: डॉ. आर.पी. द्विवेदी एवं डॉ. प्रियंका सिंह
तकनीकी सहायता: अजय पान्डेय एवं प्रद्युम्न सिंह, छायांकन: राजेश कुमार श्रीवास्तव

प्रकाशक:
निदेशक
भा.कृ.अनु.प.-केन्द्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान संस्थान
झाँसी–ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग, झाँसी 284003 (उ.प्र.)
+91-510-2730214 director.cafri@icar.gov.in https://cafri.icar.gov.in
Twitter: #icarcafri LinkedIn: #icarcafri Instagram: #ic Facebook: #icarcafri

मुद्रक : क्लासिक इण्टरप्राइजेज, झाँसी. 7007122381